

13/05/2024

पञ्जाबली आष पेश दुर्ग। माननीय राज्य मंडल अज-
मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/05/2024 के अन्त-
र्गत से यह विदित होता है कि रैस्पॉन्डेन्ट संख्या 01
रत्नाराम द्वारा प्रकरण के अन्तर्गत न्यायालय हाजि
द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23/09/2023 के
विरुद्ध निगरानी टी.ए. 5626/2023 माननीय राज्य



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>मंडल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपरोक्त निगरानी के अन्तर्गत माननीय राज्य मंडल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 13/05/2024 के अनुसार "ग्रामी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अपील न्यायालय राज्य अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निगराधीन आदेश दिनांक 23/03/2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी मुकाम सोजत को प्रतिप्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रकरण में अप्रामाणिकता से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, विद्वान अभिमाण्ड गण उभयपक्ष की गुणावगुण के आधार पर बहस सुनने के उपरान्त विधिसम्मत रूप से प्रकरण का पत्रावली प्राप्ति के 01 माह के अंदर निस्तारण करें" के निर्देश प्रदान किये गये हैं। माननीय राज्य मंडल द्वारा अपने निर्णय के जरिये हाज्जा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अमान्य कर प्रकरण सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय को निस्तारण किये जाने का निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में हाज्जा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायिर्ह इफ्तार हो।</p>	